न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 2/2020 (उदयपुर आर्डर)

1. हरिसिंह पिता नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी ग्राम खाम्बिया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. गोवर्धनसिंह पिता नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी ग्राम खाम्बिया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. मनोहरसिंह पिता नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी ग्राम खाम्बिया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती जेतबाई पत्नी नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी ग्राम खाम्बिया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. माधुसिंह पिता प्रतापसिंह जी राजपूत, निवासी ग्राम खाम्बिया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. मानसिंह पिता प्रतापसिंह जी राजपूत, निवासी ग्राम खाम्बिया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. मगनसिंह पिता स्वर्गीय सवसिंह उर्फ ि ावसिंह जी राजपूत, निवासी ग्राम खाम्बिया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 225 राज0
काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा दिनांक
21.11.2019 प्रकरण संख्या 31/17

---/---

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री पी. पी. गोस्वामी अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री प्रणय सनाढ्य अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1

3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

---::---

निर्णय दिनांक 12–10–2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:44 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खाम्बिया में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात कुल किता 27 रकबा 11.14 हैक्टर भूमि स्थित है। पक्षकारान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूश सवसिंह उर्फ ि ावसिंह जी थे। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नंबर 406 पर प्रार्थी अपने परिवार सहित कई वर्शो से काबिज होकर का त करता चला आ रहा है, जिससे वह अपने नाम घोशणा कराने का अधिकारी है, किन्तु विपक्षीगण के मन में खोट आ जाने से प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू हैं। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 से 6 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी नंबर 406 हम विपक्षीगण के कब्जे का त एवं खातेदारी की है, प्रार्थी येन–केन प्रकारेण विपक्षीगण की उक्त भूमि हड़पने पर आमादा हैं। अतः प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 21–11–2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण का काउण्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक दोनों पक्षों को विवादित आराजीयात की यथास्थिति बनाये रखने के आदे ा दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06–01–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रणय सनाढ्य उपस्थित हुए एवं लिखित बहस प्रस्तुत की। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में भापथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी नंबर 406 अपीलान्टगण के खातेदारी की होकर उनका कब्जा है, जिससे रेस्पोन्डेन्ट का कोई संबंध नहीं है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अस्पश्ट होकर वि[illegible] वाला है। अतः अपील स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:44 IST
Reason: SelfAttested

कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 1996 पेज 28, आर.आर.टी. 2011–12 (Supp.) पेज 217, आर.आर.टी. 2014 (3) पेज 1301, आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 618, आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 633, आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1323, आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1144 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मूलवाद के निस्तारण तक दोनों पक्षों को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि विवादित आराजी नंबर 406 के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य काफी विवाद होकर फौजदारी प्रकरण भी चले हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने मूलवाद के निस्तारण तक दोनों ही पक्षों को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत है। कौन पक्षकार विवादित आराजी नंबर 406 पर अपना हक अधिकार रखता हैं, इसका निस्तारण तो मूलवाद में साक्ष्यों के आधार ही किया जा सकता है, किन्तु मौके पर और अधिक विवाद न बढ़े इस हेतु अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों ही पक्षों को मूलवाद के निस्तारण तक एक–दूसरे के कब्जे का त में दखलन्दाजी नहीं करने एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदे ा दिया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आव यक नहीं सकते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21–11–2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:44 IST
Reason: SelfAttested